Extra No. 166

©

सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXVI] **SATURDAY, MAY 31, 2025 / JYAISTHA 10, 1947**

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-C

Statutory Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A and I-L) made by Statutory Authorities other than the Government of Gujarat including those made by the Government of India, the High Courts, the Director of Municipalities, the Commissioner of Police, the Director of Prohibition and Excise, the District Magistrates and the Election Commission, Election Tribunals, Returning Officers and other authorities under the Election Commission.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/4/ID/2025/SDR/VOL.II Dated: 27th May, 2025

ORDER

Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing personation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing personation of electors and facilitating their identification at the time of poll, issue of Electors' Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors' Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors' Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors' Photo Identity Card have been issued to **approximately 100% electors in the States of Gujarat, Kerala, Punjab and West Bengal**; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the **current bye election to the 24-Kadi (SC) & 87-Visavadar Assembly Constituencies in Gujarat, 35-Nilambur Assembly Constituency in Kerala, 64-Ludhiana West Assembly Constituency in Punjab and 80-Kaliganj Assembly Constituency in West Bengal, notified on 26th May, 2025,** all electors who have been issued EPIC are expected to produce the EPIC for their identification at the polling stations before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

   i. Aadhaar Card,

   ii. MNREGA Job Card,

   iii. Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,

   iv. Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,

   v. Driving License,

   vi. PAN Card,

   vii. Smart Card issued by RGI under NPR,

   viii. Indian Passport,

   ix. Pension document with photograph,

   x. Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies,

   xi. Official identity cards Issued to MPs/MLAs/MLCs; and

   xii. Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided that the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) at the polling station.

By Order,

SANTOSH KUMAR DUBEY,

SECRETARY.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/4/आईडी/2054/एसडीआर/खण्ड-II दिनांक: 27 मई, 2025

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा

2. यतः निर्वाचकों का रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता हैं, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई०पी०आई०सी० जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, गुजरातपंजाब एवं पश्चिम बंगाल, केरल, में उप-चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 100% मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

7. अतः अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को, ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक 26.05.2025 को अधिसूचित गुजरात में 24-कडी (अ.जा.) एवं 87-विसावदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, केरल में 35-नीलम्बूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं पश्चिम बंगाल में 80-कालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए, सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

i. आधार कार्ड ।

ii. मनरेगा जॉब कार्ड,

iii. बैंको/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक,

iv. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

v. ड्राइविंग लाइसेन्स,

vi. पैन कार्ड,

vii. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड,

viii. भारतीय पासपोर्ट;

ix. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

x. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

xi. सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और

xii. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) काड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ।

8. एपिक के संबंध में, लेखन-अशुद्धियां, वर्तनी की अशुद्धियां इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैं, तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने भारतीय पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

संतोष कुमार दूबे,

सचिव.

Signature Not Verified
Signed by:BHOLUSINGH G THAKUR
Date: 2025.05.31 14:03:00 +05:30
Reason: Validate Document
Location: Government Central Press, Gandhinagar